भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 898

04 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

बेहतर नगर नियोजन प्रबंधन के लिए शहरी कर्मचारियों का सशक्तीकरण

†898. श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार उन्नत स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर काम करने वाले शहरी कर्मचारियों के भविष्य की परिकल्पना किस प्रकार करती है; और
(ख) शहरी नियोजन भूमिकाओं में लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाले विशिष्ट कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) कार्यान्वित कर रहा है, जिसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। स्मार्ट तत्व, घटक और प्रौद्योगिकियां अमृत परियोजनाओं का हिस्सा हैं और इसका उद्देश्य सुस्थायी शहरी विकास को बढ़ावा देना है। अमृत दिशानिर्देशों में जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के हिस्से के रूप में निगरानी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) जैसे स्मार्ट तत्वों के प्रावधान हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्ट के अनुसार 258 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 146 सीवरेज परियोजनाएं एससीएडीए के साथ कार्यान्वित की गई हैं।

स्टार्ट-अप आइडिया और निजी उद्द्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें प्रायोगिक परियोजनाओं में शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी उप-मिशन, अमृत 2.0 का एक मुख्य घटक है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, अमृत 2.0 के तहत 1,415 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 246 सीवरेज परियोजनाएं एससीएडीए के साथ अनुमोदित की गई हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के माध्यम से राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को क्षमता निर्माण कार्यों में सहायता दे रहा है, ताकि शहरी स्थानीय निकाय कर्मियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि जिनमें महिलाओं सहित समाज के सभी वर्ग शामिल हैं, की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। अमृत के तहत, 45000 कर्मियों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 57134 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

अमृत 2.0 के तहत, ठेकेदारों, प्लंबर, प्लांट ऑपरेटरों, विद्यार्थियों, महिलाओं और नागरिकों सहित सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में 4 संस्थानों को शहरी नियोजन एवं डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नामित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ लोक सेवकों, राज्य नगर नियोजकों, नगर निगम अधिकारियों, व्यवसायियों/पेशेवरों, युवा छात्रों आदि को प्रमाणित प्रशिक्षण/प्रमाणित पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान करते हैं। इन केंद्रों में से प्रत्येक को 250 करोड़ रुपये की बंदोबस्ती निधि प्रदान की गई है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने क्षमता निर्माण के लिए 6 संस्थानों को अमृत वित्तपोषित शहरी नियोजन केंद्र के रूप में भी नामित किया है। इन संस्थानों के कार्यों में, अन्य बातों के अलावा, नगर निगम अधिकारियों/नगर एवं ग्राम नियोजन अधिकारियों को विषय विशिष्ट प्रशिक्षण देना, राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों के क्षमता निर्माण को बढ़ाना और शहरी नियोजन में उनकी सहायता करना शामिल है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय महिला संवेदी और समावेशी शहरी नियोजन को बढ़ावा देता है। अमृत 2.0 के तहत, इस मंत्रालय ने अमृत मित्र पहल भी शुरू की है, जिसमें जल- मांग प्रबन्धन, जल की गुणवत्ता की जांच, वॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन और जल से संबंधित अन्य परियोजनाओं में महिला स्वयं सहायता समूह शामिल हैं। अमृत 2.0 के तहत अमृत मित्र पहल के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों ने एनयूएलएम के साथ मिलकर शहरी क्षेत्रों में पेड़ लगाने की मुहिम चलाई है। महिला स्वयं सहायता समूह साइट की पहचान करने, पौधे लगाने और पौधों के ज़िंदा रहने के लिए देख-रेख के कार्य भी कर रही हैं। अब तक, अमृत मित्र के तहत 377.81 करोड़ रु. की 6,094 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया जा चुका है।

*****